कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 116/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.03.2026

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.03.2026, थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡ **ग्राम बम्हौर में प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी व वध कर मांस बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार**

➡ **पुलिस मुठभेड़ में गोवध/पशु क्रूरता की घटना में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार**

➡ **पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग, आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई**

➡ **02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद**

➡ **चोरी की मोटरसाइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगी) बरामद**

➡ **अपराध एवं गोतस्करी के विरुद्ध अभियान में बड़ी सफलता**

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में अपराध एवं गोतस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्राम बम्हौर में प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी कर वध कर मांस बिक्री करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

आजमगढ़। दिनांक 21.03.2026 को वादिनी श्रीमती उषा देवी पत्नी पंचदेव निवासी ग्राम बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 20/21.03.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके आम के बाग से प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी कर उसका वध कर मांस वहीं बाग में फेंक दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 108/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य

संकलन के आधार पर अभियुक्त इमरान पुत्र मुमताज उर्फ लड्डू उम्र लगभग 28 वर्ष तथा कासिद पुत्र फरियाद उम्र लगभग 21 वर्ष निवासीगण ग्राम बम्हौर का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण- दिनांक 25/26.03.2026 की रात्रि में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के नेतृत्व में क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि उक्त वांछित अभियुक्त मोटरसाइकिल से समोधी की ओर आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल सक्रियता दिखाते हुए **पुलिस टीम द्वारा बावन बीघा मैदान, गजहड़ा के पास घेराबंदी** की गई।

कुछ ही देर बाद संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु वे पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्तों ने फायरिंग जारी रखी, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए।

घटना के दौरान **दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लगी तथा उन्हें समय लगभग 01:31 बजे मौके पर ही पुलिस हिरासत** में ले लिया गया। तत्पश्चात घायल अभियुक्तों को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुबारकपुर भेजा गया, जहाँ उनका उपचार कराया जा रहा है।

➡ बरामद मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

➡ घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्यवाही की गई।

अपराध का तरीका/पूछताछ

➡ अभियुक्तगण संगठित तरीके से गोवंश चोरी एवं गोवध की घटनाओं को अंजाम देते थे।

➡ दिन में क्षेत्र में घूमकर पशुओं की रेकी करते थे तथा रात्रि में चोरी कर एकांत स्थान पर ले जाकर गोवध करते थे।

➡ प्रतिबंधित मांस को 400-500 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।

➡ पहचान छुपाने हेतु चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर घटना करते थे।

➡ पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदलते रहते थे।

➡दिनांक 20/21.03.2026 की रात्रि में इन्होंने ग्राम बम्हौरा में बछड़े को चोरी कर गोवध किया था तथा मांस का विक्रय किया था।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 108/2026 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0- 115/26 धारा 109(1), 317(2), 338, 340(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त

1- इमरान पुत्र मुमताज उर्फ लड्डू निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 28 वर्ष

2- कासिद पुत्र फरियाद निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 21 वर्ष

बरामदगी

- 02 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद मोटरसाइकिल (हीरो होंडा सीडी डीलक्स, फर्जी नम्बर प्लेट UP50 S 3503)

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम

प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, उ0नि0 आशुतोष मौर्य, उ0नि0 मुरारी मिश्रा, उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, हे0का0 भानु पाण्डेय, हे0का0 रविन्द्र सिंह, का0 अरुण कुमार, का0 सूरज यादव, का0 केशर यादव, का0 दुर्गेश गौड़, का0 संदीप शर्मा, का0 बृजमोहन, का0 इरशाद अंसारी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।